



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan  
N.H. By-pass  
P.B. No. 2277  
Palarivattom P.O.  
Cochin - 682 025, India

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन  
एन. एच. बाईपास  
पी. बी. नं. 2277  
पालारिवट्टम पी. ओ.  
कोचिन - 682 025, भारत

MKT-ST5/0011/2018-2019

Dated: 21<sup>st</sup> June 2019.

### CIRCULAR

Sub: Submission of Monthly returns by Dealers – reg.

As per the terms and conditions of grant of Dealer License of Cardamom (Small& Large) issued in accordance with the Spices Board Cardamom (Licensing & Marketing ) Rules1987 & subsequent Amendments, every Registered Dealer of cardamom(Small&Large) should submit the returns in (Form-F) to Spices Board on monthly basis on or before 10<sup>th</sup> of succeeding month.

Also, if there is no purchase then a 'NIL' report to that effect should be submitted for the relevant period.

Now, it is brought to the notice of all the Dealers that all the pending Monthly Returns for the year 2017-18 and 2018-19 should invariably be furnished on or before 15th July 2019.

E-mail id for submission: [tis.sb-ker@gov.in](mailto:tis.sb-ker@gov.in)

  
Director (Mktg)

All the Registered Dealers of Cardamom (Small&Large)



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan  
N.H. By-pass  
P.B. No. 2277  
Palarivattom P.O.  
Cochin - 682 025, India

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन  
एन. एच. बाईपास  
पी. बी. नं 2277  
पालारिवट्टम पी. ओ.  
कोचिन - 682 025, भारत

सं. विपणन-सांख्यिकी/0011/2018-19

दिनांक : 14 जून, 2019

### परिपत्र


विषय : ब्यौहारियों द्वारा मासिक विवरणी की प्रस्तुति -बाबत

जैसेकि आप जानते हैं, मसाला बोर्ड इलायची (अनुज्ञप्तीकरण एवं विपणन) विनियम 1987 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी किए जानेवाले इलायची के विक्रेता लाइसेन्स प्रदान किए जाने की शर्तों व निबंधनों के अनुसार, इलायची के विक्रेता के रूप में पंजीकृत विक्रेता को अगले महीने के 10 वीं दिन को या उससे पहले मासिक आधार पर (फॉर्म एफ) में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

साथ ही, यदि कोई खरीद नहीं है तो संबंधित अवधि के लिए संबद्ध एक 'शून्य' विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अब, सभी विक्रेताओं के ध्यान में यह लाया जाता है कि वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लंबित सभी मासिक विवरणी 15 जुलाई, 2019 को या उससे पहले अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रस्तुतीकरण के लिए ई-मेल: [tis.sb-ker@gov.in](mailto:tis.sb-ker@gov.in)

  
निदेशक(विपणन)

सेवा में,/To

इलायची (छोटी व बड़ी) के सभी पंजीकृत ब्यौहारी